न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ (राज0)

प्रकरण संख्याः— 129/2019

दिनांकः—17.06.2019

केशव लाल पिता पन्नालाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौडगढ़ रज0।

//बनाम//

1. रमेशप्रकाश पिता जीवनारायण जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
2. शांतिलाल पिता कालु खटीक आयु वयस्क निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।
3. चंदादेवी पत्नि सोहनलाल जाति टेलर आयु वयस्क निवासी लसड़ावन तह0 निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ राज0।

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई । प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा लसड़ावन प0ह0 लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 108 की आराजी न0 41/2589 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, कुल कीता 1 कुल रकबा 0.8600 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ौसी है। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 400/— रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं हाने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा लसड़ावन प0ह0 लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 108 की आराजी न0 41/2589 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, कुल कीता 1 कुल रकबा 0.8600 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करे।

आज दिनांक 17.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 17:02:15 IST
Reason: SelfAttested